प्रेस–विज्ञप्ति

दिनांक 03–05–2019 दिन शुक्रवार जनपद लखनऊ।

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 17 एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनाँक 02/03–05–2019 की रात्रि में विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में थाना आलमबाग 03, मानकनगर 01, कृष्णानगर 01, बन्थरा 01, गोमतीनगर 01, पी0जी0आई0 04, जानकीपुरम 05, काकोरी 01 एवं एन0बी0डब्ल्यू0 में थाना जानकीपुरम 01, नगराम 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में 17 एवं एन0बी0डब्ल्यू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

हसनगंजः–दिनाँक 02–05–2019 को श्री धीरज कुमार शुक्ला प्रभारी निरीक्षक हसनगंज लखनऊ द्वारा अभि0 1–बजरंग सोनकर पुत्र गुलाबचन्द्र सोनकर निवासी पतौरागंज थाना हसनगंज जनपद लखनऊ के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

आलमबागः–दिनाँक 02–05–2019 को श्री वीरेन्द्र कुमार सोनकर प्रभारी निरीक्षक आलमबाग लखनऊ द्वारा अभि0 1–उज्जवल भट्ठ पुत्र संजीव कुमार शर्मा निवासी 534/150ए छोटा बरहा थाना आलमबाग जनपद लखनऊ 2–परचेतस दूबे पुत्र बिन्देश्वरी निवासी 567/100 आनन्दनगर बरहा थाना आलमबाग जनपद लखनऊ 3–राहुल पुत्र सुनील सिंह निवासी 551/70 छोटा बरहा थाना आलमबाग जनपद लखनऊ के विरूद्ध गैग्स्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

जानकीपुरमः–दिनाँक 02–05–2019 को एस0आई0 श्री पवन कुमार पटेल, एस0आई0 श्री विजय प्रताप शुक्ला थाना जानकीपुरम लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गश्त अभि0 1–मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम बर्रा सराय थाना टड़ियावां जिला हरदोई हालपता–मुर्गामण्डी के पास थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ 2–मो0 जीशान पुत्र मो0 शकील निवासी ग्राम अहमदपुर थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी हालपता–किराये का मकान से0 6 जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ 3–पुष्कर उर्फ छोटू पुत्र मोहनलाल गौतम निवासी ग्राम निम्तापुर थाना सदना जिला सीतापुर हालपता–किराये का मकान 3/912 थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ 4–शैलेन्द्र पाल पुत्र सियाराम निवासी ग्राम रमुआपुर थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर हालपता–से0–03 किराये का मकान जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ 5–अरुण राजपूत पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम खरगापुर जागीर थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ को आपस मे रुपये की हार–जीत की बाजी लगाकर ताश पत्तों द्वारा जुआ खेलते समय सार्वजनिक स्थान भवानी चौराहे के पास सब्जी मण्डी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मालफड़ 2670/–रुपया, ताश के 52 अदद पत्ते व जामातलाशी से 380/–रुपया नकद बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया।

सट्टा खेलते समय गिरफ्तार।

हुसैनगंजः–दिनाँक 02–05–2019 को एस0आई0 श्री राजेश राय थाना हुसैनगंज लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गश्त अभि0 1–मो0 शहनवाज पुत्र मो0 हलीम निवासी 55/08 छितवापुर घोसियाना थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ 2–गोलू पुत्र रामचेत निवासी के0के0सी0 महावीरपुरी थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ को सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते समय सार्वजनिक स्थान विकास द्वीप बिल्डिंग के सामने मेन गेट के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मालफड़ 7500/– रुपया व 02 अदद सट्टा पर्ची बरामद हुई। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त गिरफ्तार।

बंथराः–दिनांक 03–05–2019 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि दिनांक 01–05–2019 को वादी मूलनिवासी जनपद उन्नाव, हालपताः–सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा थाना बंथरा पर अपनी 14 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 354 भादवि व धारा 03/04 पोस्को एक्ट का अभियोग बनाम 1–बबलू के विरुद्व पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सन्तोष कुमार थाना बंथरा लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 03–05–2019 को एस0आई0 श्री सन्तोष कुमार थाना बंथरा लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभि0 1–बबलू पुत्र स्व0 राम जियावन निवासी बंथरा बाजार थाना बंथरा लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर बंथरा बाजार से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना बंथरा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

अमीनाबादः–दिनांक 03–05–2019 को थाना अमीनाबाद द्वारा बताया गया कि श्री मुसीबत अली पुत्र करीम बक्श निवासी ग्राम रानीपुर थाना हैदरगंढ जनपद बाराबंकी ने थाना अमीनाबाद पर सूचना दिया कि आज दिनांक 03–04–2019 को समय करीब 05.15 बजे प्रातः उसका चचेरा भाई इनायत अली उम्र करीब 50 वर्ष निवासी उपरोक्त लाटूस रोड़, अमीनाबाद, पीली मस्जिद के पास नहाने के लिए गया था, जहॉ पर करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर एस0आई0 श्री संजय वर्मा मो0नं0–9451664930 द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है जिनके द्वारा बताया गया कि लखनऊ आयरन एण्ट स्टील, लाटूस रोड़ पीली मस्जिद के सामने नहाते समय संभवतः करंट लगने से मृत्यु हो गयी है। मृतक मजदूरी करता था।

मलिहाबादः–दिनांक 03–05–2019 को थाना मलिहाबाद द्वारा बताया गया कि वादी श्री हरिशचन्द्र राजवंशी पुत्र स्व0 दुलारे लाल निवासी 592झा/30 रथीन्द्र नगर तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना मलिहाबाद पर सूचना दिया कि वादी ने अपनी पुत्री अंजली रानी की शादी 06 मई 2018 को विमलेश कुमार पुत्र वीर कुमार निवासी ग्राम दौलतपुर थाना मलिहाबाद लखनऊ के साथ की थी। शादी के बाद से ही वादी की पुत्री को उसके ससुरालीजनों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 02–05–2019 को समय करीब 11.00 बजे रात्रि में वादी की पुत्री के ससुरालीजन 01–विमलेश कुमार (पति) 02–जुगलेश कुमार 03–विपिन कुमार 04–राकेश कुमार 05–सुनील कुमार पुत्रगण वीर कुमार 06–वीर कुमार पुत्र स्व0 नत्था 07–रेखा पुत्री वीर कुमार 08–वीर कुमार की पत्नी 09–उमा शंकर पुत्र बाबू निवासी ग्राम दौलतपुर थाना मलिहाबाद लखनऊ द्वारा एक राय होकर वादी की पुत्री अंजली रानी उम्र करीब 20 वर्ष को दहेज की मांग को लेकर मारा–पीटा और आग लगा कर मार दिया। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0–168/2019 धारा 498–ए/304–बी भा0द0वि0 व धारा 03/04 डी0पी0 एक्ट का अभियाग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी मलिहाबाद द्वारा की जा रही है।